राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 22/09/2023 को संपन्न 487वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **485वीं एवं 486वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/09/2023 एवं 13/09/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 485वीं एवं 486वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/09/2023 एवं 13/09/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/ टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स श्री राम रोलिंग मिल, इण्डस्ट्रीयल एरिया रावांभाठा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2572)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 436230/2023, दिनांक 10/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् प्लॉट नं. 13(पार्ट), इण्डस्ट्रीयल एरिया रावांभाठा, तहसील व जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–

0.557 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन कम एक्सपांशन ऑफ रोलिंग मिल हॉट चार्जिंग थ्रू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 8.9 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन रेगुलाईजेशन के स्थान पर क्षमता विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी ऑफिस मेमोरेण्डम्स के तहत् टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था, परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स गोयल एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–5), ग्राम–बोरझरा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2571)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 435465/2023, दिनांक 11/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिंग रोड नं. 2, अटारी रोड, ग्राम–बोरझरा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 324/2, कुल क्षेत्रफल–1.619 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन

प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 2.5 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सौरभ सक्सेना, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 30/12/2011 को जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 28/02/2030 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी बोरझरा 1.49 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 6.7 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 20.53 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रिंग रोड 900 मीटर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 5.1 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.67 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – पूर्व में भूमि मेसर्स रघुनाथ स्ट्रकचर्स के नाम पर थी, तत्पश्चात् भूमि को मेसर्स गोयल एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड द्वारा क्रय किया गया है। इस बाबत् विक्रय विलेख संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace with CCM and rolling mill	2,731.9	16.87
2.	Finished Good Area	803.5	4.96
3.	Raw material Yard	964.2	5.95
4.	Office	120.52	0.74
5.	Parking Area	642.8	3.97

6.	Road Area	3,214	19.85
7.	Greenbelt Area	6,588.7	40.69
8.	Open Area	1,124.38	6.97
Total		**16,190**	**100**

5. रॉ–मटेरियल –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	31,500	Open Market	By Road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। समिति का मत है कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–800 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ इण्डक्शन फर्नेस इकाई को विक्रय किया जाना बताया गया है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 9 घनमीटर वन टाईम वॉटर डिमांड है। परियोजना के नियमित संचालन हेतु फ्रेश वॉटर कुल 5 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण एवं डस्ट सप्रेशन के लिए 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी. जी. सेट कॉन्फिगरेशन एवं चिमनी की ऊँचाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.658 हेक्टेयर (40.69 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,645 नग पौधों का वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया है।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

v. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

vi. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

vii. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.

viii. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xiii. Project proponent shall submit the coal consumption details and ash generated from coal burning in the form of waste.

xiv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xix. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating

the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स रतुसरिया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2581)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 436799 /2023, दिनांक 15/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् प्लॉट नं. 217(पार्ट), 218 एवं 219, सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–1.13091 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ एम.एस. इंगॉट्स/बिलेट्स (थ्रू 8 एम.टी. इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–23,100 टन प्रतिवर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (आयरन बार, एंगल, चैनल, जॉइस्ट, सी.टी.डी. बार स्टील, एम.एस. राउण्ड, विन्डो सेक्शन) क्षमता–21,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 5 करोड़ है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रकाश नाथवानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से एम.एस. इंगॉट्स/बिलेट्स (थ्रू 8 एम.टी. इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–23,100 टन प्रतिवर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (आयरन बार, एंगल, चैनल, जॉइस्ट, सी.टी.डी. बार एवं स्टील, एम.एस. राउॅड, विन्डो सेक्शन) क्षमता–21,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 01/09/2009 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 30/06/2030 तक है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **लीज डीड का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेसर्स रतुसरिया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर को प्लॉट नं. 217(पार्ट), 218 एवं 219,

क्षेत्रफल 1,13,091 वर्गफीट (2.60 एकड़) हेतु लीज दिनांक 25/04/2005 से दिनांक 24/04/2104 तक जारी किया गया है।

3. समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदित प्रकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन में उद्योग परिसर का कुल क्षेत्रफल 1.13091 हेक्टेयर (2.794 एकड़) बताया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी लीज डीड में उद्योग परिसर का कुल क्षेत्रफल 1,13,091 वर्गफीट (2.6 एकड़) का उल्लेख है। समिति का मत है कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के क्षेत्रफल में भिन्नता होने के कारण आवेदित प्रकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री बजरंग एलायंस लिमिटेड, उरला इंड्रस्टीज एरिया, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2583)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 436498/2023, दिनांक 15/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 521/सी, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल– 2.63 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रोलिंग मिल क्षमता–46,000 टन प्रतिवर्ष (ट्वीस्टेड बार क्षमता–8,000 टन प्रतिवर्ष, स्ट्रालिंग ऑफ राउंड्स, एंगल्स क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष, राउंड्स, एंगल्स, चैनल्स क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष, कटिंग ऑफ बिलेट्स क्षमता–8,000 टन प्रतिवर्ष) एवं कोल गैसीफायर (2 नग X 6,000 Nm^3/hr) क्षमता–12,000 Nm^3/hr हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 10 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवन कुमार गोयल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of

Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन रेगुलाईजेशन के स्थान पर क्षमता विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी ऑफिस मेमोरेण्डम्स के तहत् टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था, परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स मधुर आयरन एण्ड स्टील (I) प्राईवेट लिमिटेड, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2584)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 436897/2023, दिनांक 16/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् प्लॉट नं. 21/ए, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला–दुर्ग, कुल क्षेत्रफल–1.21 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन कम एक्सपांशन ऑफ रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 54,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 9.21 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एच.एल.व्यास, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से फेब्रिकेशन क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 03/04/2019 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 02/04/2025 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई

कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ सिटी चरोदा 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई 4.16 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 34.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.45 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज डीड का विवरण** – पूर्व में लीज डीड मेसर्स मधुर आयरन एण्ड स्टील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड यूनिट (2) (डायरेक्टर–श्री सुनील कुमार अग्रवाल) के नाम पर थी।

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग के पत्र दिनांक 31/03/2018 के अनुसार भूखण्ड क्र. 21/ए, कुल रकबा–3 एकड़ में मेसर्स मधुर आयरन एण्ड स्टील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड यूनिट (2) (डायरेक्टर–श्री सुनील कुमार अग्रवाल), हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई पर स्थापित उद्योग को मेसर्स मधुर आयरन एण्ड स्टील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर–श्री विरेन्द्र कुमार अग्रवाल) के नाम पर हस्तांतरित की गई।

तत्पश्चात् दिनांक 05/04/2018 को लीज डीड में संशोधन करते हुये, लीज डीड मेसर्स मधुर आयरन एण्ड स्टील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर–श्री विरेन्द्र कुमार अग्रवाल) के नाम पर जारी किया गया। जारी लीज डीड, दिनांक 30/03/2013 से दिनांक 20/11/2071 तक की अवधि हेतु वैध है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Land use breakup	Area (m^2)	Area (%)
1.	Building Sheds	3,428	42.32
2.	Road / Paved Area	630	7.78
3.	Green Belt Area	4,858	40.00
4.	Open Area	802	9.901
5.	**Total Area**	**12,145**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल –**

S.No	Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Source
1.	Billets/Ingots	30,500	55,000	Open Market

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –**

Production Capacity	
Existing hot charged Rolling Mill Capacity	30,000 TPA
After expantion hot charged Rolling Mill Capacity	54,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी (वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रदूषण भार की गणना की जानकारी सहित) फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत रोलिंग मिल से मिल स्केल–400 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–600 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाएगा। रॉ–मटेरियल कोल एवं अपशिष्ट के रूप में कोल बर्निंग से जनित ऐश की मात्रा की जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 15 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण व डस्ट स्प्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 03/10/2025 को अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल को हरित पट्टिका के विकास एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु आवश्यक कुल विद्युत मात्रा एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। साथ ही समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं चिमनी की ऊँचाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.4858 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,210 नग पौधों का वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 के मध्य किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई को औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने बाबत् उद्योग विभाग से जारी अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री कृष्णा स्टील (यूनिट–2), ग्राम–चंदनडीह, ब्लॉक–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2585)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 437024/2023, दिनांक 17/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–चंदनडीह, जी.ई. रोड, ब्लॉक–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 136(पार्ट), 140/5, 142/10, 138/11(पार्ट), 140/6, 142/1, 140/9, 142/15, 86/3, 138/11 एवं 86/4, कुल क्षेत्रफल–1.423 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्टस क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 0.68 करोड़ है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री टी. रामा राव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित परियोजना वर्ष 1992 से संचालित है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी से जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 11/06/2018 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें जल एवं वायु सम्मति जारी दिनांक 06/08/1992 का उल्लेख है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार निम्नानुसार प्रावधान हैः–

   "Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification."

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 21/11/2006 के पैरा 2 के अनुसार "Such projects for which NOCs issued before 14th September, 2006 will not be required to take Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006." का उल्लेख है।

4. उक्त अधिसूचना के तारतम्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1992 से वर्तमान दिनांक तक इकाई के उत्पाद, उत्पादन क्षमता, प्लांट एवं मशीनरी या अन्य वस्तुओं में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

5. समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20/07/2022 को जारी अधिसूचना का अवलोकन किया गया। उक्त अधिसूचना के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

   Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

चूंकि उपरोक्त अधिसूचना में दिनांक 14/09/2006 के पूर्व संचालित रोलिंग मिल उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु उक्त अधिसूचना में संचालित रोलिंग मिल उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वैध स्थापना एवं संचालन सम्मति है, उन उद्योगों को टीओआर (बिना लोक सुनवाई) के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को प्राथमिकता के आधार पर समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री राम स्टील, ग्राम–चंदनडीह, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2586)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 437041/2023, दिनांक 17/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–चंदनडीह, जी.ई. रोड, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 137/1, 137/3, 137/4, 138/15, 138/17, 138/22, 138/23, 138/5, 138/8, 138/9, 138/12, 138/13, 138/18, 138/19 एवं 138/2, कुल क्षेत्रफल–1.513 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 9,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 0.68 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री टी. रामा राव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित परियोजना वर्ष 1988 से संचालित है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी से जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 11/06/2018 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें जल एवं वायु सम्मति जारी दिनांक 01/09/1988 का उल्लेख है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार निम्नानुसार प्रावधान है:–

> "Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the

expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification."

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 21/11/2006 के पैरा 2 के अनुसार "Such projects for which NOCs issued before 14th September, 2006 will not be required to take Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006." का उल्लेख है।

4. उक्त अधिसूचना के तारतम्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1988 से वर्तमान दिनांक तक इकाई के उत्पाद, उत्पादन क्षमता, प्लांट एवं मशीनरी या अन्य वस्तुओं में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

5. समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20/07/2022 को जारी अधिसूचना का अवलोकन किया गया। उक्त अधिसूचना के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

चूंकि उपरोक्त अधिसूचना में दिनांक 14/09/2006 के पूर्व संचालित रोलिंग मिल उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु उक्त अधिसूचना में संचालित रोलिंग मिल उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वैध स्थापना एवं संचालन सम्मति है, उन उद्योगों को टीओआर (बिना लोक सुनवाई) के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को प्राथमिकता के आधार पर समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स कास्मोस प्रायवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2587)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 437170/2023, दिनांक 18/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 149, 151, 152, 155, 153, 147(पार्ट) एवं 150(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–0.476 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्टस क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 0.70 करोड़ है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री टी. रामा राव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित परियोजना वर्ष 1995 से संचालित है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी से जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/02/2019 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें जल एवं वायु सम्मति जारी दिनांक 26/04/1995 का उल्लेख है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार निम्नानुसार प्रावधान है:–

   "Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification."

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 21/11/2006 के पैरा 2 के अनुसार "Such projects for which NOCs issued before 14th September, 2006 will not be required to take Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006." का उल्लेख है।

4. उक्त अधिसूचना के तारतम्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1995 से वर्तमान दिनांक तक इकाई के उत्पाद, उत्पादन क्षमता, प्लांट एवं मशीनरी या अन्य वस्तुओं में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

5. समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20/07/2022 को जारी अधिसूचना का अवलोकन किया गया। उक्त अधिसूचना के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

चूंकि उपरोक्त अधिसूचना में दिनांक 14/09/2006 के पूर्व संचालित रोलिंग मिल उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु उक्त अधिसूचना में संचालित रोलिंग मिल उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वैध स्थापना एवं संचालन सम्मति है, उन उद्योगों को टीओआर (बिना लोक सुनवाई) के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को प्राथमिकता के आधार पर समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स पंकज इस्पात लिमिटेड, गोगांव इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–गोगांव, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2588)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 437062/2023, दिनांक 18/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गोगांव इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–गोगांव, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 77 एवं 78, कुल क्षेत्रफल–1.57 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन के तहत् रोलिंग मिल क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष एवं इण्डक्शन फर्नेस (हॉट चार्जिंग) क्षमता–24,000 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 22.12 करोड़ है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन/स्टील क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष एवं स्टील इंगॉट्स

क्षमता–24,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 07/07/2009 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/07/2023 तक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम–गोगांव 260 मीटर, स्कूल ग्राम–गोगांव 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन सरस्वती नगर 2.6 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर, 17.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.3 कि.मी. दूर है। खारून नदी 6 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज डीड का विवरण** – पूर्व में दिनांक 23/01/2006 को गोगांव इण्डस्ट्रीयल एरिया, क्षेत्रफल 0.93 एकड़ हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेसर्स श्री भगवती इस्पात को लीज जारी किया गया था। तत्पश्चात् लीज धारक के आवेदन दिनांक 03/08/2006 के तहत् छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लीज का हस्तांतरण "मेसर्स पंकज इस्पात लिमिटेड, डायरेक्टर" के नाम से किया गया।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेसर्स पंकज इस्पात लिमिटेड (डायरेक्टर–श्री पंकज अग्रवाल) को ग्राम–गोगांव, तहसील व जिला–रायपुर, क्षेत्रफल 1.62 एकड़ हेतु लीज दिनांक 05/07/2010 से दिनांक 04/07/2199 तक जारी किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 1.57 हेक्टेयर हेतु जारी लीज डीड संबधी जानकारी/भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Particulars	Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Plant area	0.72	45.85
2.	Storage area	0.12	7.64
3.	Internal road	0.16	10.20
4.	Green belt	0.52	33.12
5.	Mics.	0.05	3.19
Total		**1.57**	**100.00**

5. **रॉ–मटेरियल –**

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
Induction Furnace - 24,000 TPA				
1.	Sponge Iron	24,000	Chhattisgarh	By road (through covered trucks)
2.	MS Scrap/Pig Iron	4,000	Chhattisgarh	By road (through covered trucks)
3.	Ferro Alloys	1,000	Chhattisgarh	By road (through covered trucks)
Rolling Mill - 12,000 TPA				
1.	Hot Billets	12,480	Own Generation	Conveyor Belt

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –**

Production Capacity	
Rolling Mill (Re-Rolled Products of Iron/ Steel)	12,000 TPA
Induction Furnace (Hot Charging Based) (Steel Ingots)	24,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – रेगुलाईजेशन ऑफ रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – एस.एम.एस. से स्लेग–2,400 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–360 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होती है। स्लेग से आयरन को पृथक करने के पश्चात् जो गैर चुंबकीय पदार्थ को सड़क निर्माण एवं ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा तथा एण्ड कटिंग को इण्डक्शन फर्नेस में पुनः उपयोग किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 15 घनमीटर प्रतिदिन (मेकअप वॉटर फॉर इण्डक्शन फर्नेस हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, मेकअप वॉटर फॉर रोलिंग मिल हेतु 9 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 08/11/2024 तक के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेस से 0.4 घनमीटर प्रतिदिन एवं रोलिंग मिल से 0.5 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होता है। दूषित जल को सेन्ट्रल मॉनिटरिंग बेसिन मे उपचारित करने के पश्चात् डस्ट स्प्रेशन एवं वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा और कच्चे माल के भंडारण क्षेत्रों के चारों ओर गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

13. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 2.4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं चिमनी की ऊँचाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.52 हेक्टेयर (33.12 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 1.57 हेक्टेयर हेतु जारी लीज डीड संबधी जानकारी/भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स लखदातार इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2589)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 437191/2023, दिनांक 18/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 454/(13, 14, 26), कुल क्षेत्रफल–0.627 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 2.38 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार

   "Central Government is of the view that steel re-rolling operations fall under the purview of the secondary metallurgical processing industry and require Environment Clearance as per item 3(a), relating to Metallurgical Industries (Ferrous and Non-ferrous), of the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating the requirement of prior environmental clearance for the projects covered in its Schedule (hereinafter referred to as the said notification), wherein all non–toxic secondary metallurgical processing units with capacities greater than 5000 tonnes/annum (TPA) fall under category B"

   "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

   Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

2. उक्त अधिसूचना के तहत् secondary metallurgical (all the standalone re-rolling units or cold rolling) processing units with capacities greater than 5000 tonnes/annum (TPA) shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance का प्रावधान है। चूँकि आवेदित प्रकरण रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता 5,000 टन प्रतिवर्ष है, अतः उक्त अधिसूचना के अनुसार आवेदित प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स मंगल स्पंज एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2590)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 437247/2023, दिनांक 19/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/11, कुल क्षेत्रफल–2.1 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–24,000 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 2.95 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स अंजनी वायर्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–रायखेड़ा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2591)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 437302/2023, दिनांक 19/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–रायखेड़ा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 5/1, कुल क्षेत्रफल–0.785 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रोलिंग मिल स्टील री–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष, एम.एस. पाईप्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष, बारबेड वायर क्षमता – 12,000 टन प्रतिवर्ष, जी.आई. वायर क्षमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष, एम.एस. स्ट्रीप्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष एवं एच.बी. वायर, क्षमता – 48,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 5.06 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार खंडेलिया, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** – क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा बारबेड वायर क्षमता – 12,000 टन प्रतिवर्ष, जी.आई. वायर क्षमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष, एम.एस.स्ट्रीप्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष, एच.बी. वायर क्षमता – 48,000 टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस. पाईप क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 31/03/2023 को जारी की गई, जो जारी दिनांक से 12 माह तक की अवधि हेतु वैध होगी।

2. **भू–स्वामित्व** – पूर्व में भूमि मेसर्स विकास मेटालिक्स एण्ड एनर्जी लिमिटेड के नाम पर थी, तत्पश्चात् भूमि को मेसर्स अंजनी वायर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा क्रय किया गया है। इस बाबत् विक्रय विलेख संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी रायखेड़ा 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बैकुण्ठ 14 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 21.48 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 मीटर दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Particular	Area in Sq.mt.	Percentage (%)
1.	Builtup area	2,250	28.66
2.	Road & paved area	1,260	16.06
3.	Green belt area	2,748	35.00
4.	Open area	1,592	20.28
	Total	**7,850**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल** –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	31,000	Open Market	Road

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी** –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Steel products
2.	Products	M.S. Pipes – 30,000 TPA G.I. Wire – 36,000 TPA M.S. Strips – 30,000 TPA H.B. Wire – 48,000 TPA Barbed Wire – 12,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – परियोजना से मिल स्केल 400 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग 600 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश 1,200 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। ऐश को ईट निर्माण ईकाइयों में विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** –

परियोजना हेतु कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (मेकअप वॉटर कूलिंग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 11/01/2022 को अनुमति प्राप्त की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना बताया गया है।

10. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 2,000 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट कॉन्फिगरेशन एवं चिमनी की ऊँचाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.2748 हेक्टेयर (35 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 के मध्य किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. बारबेड वायर क्षमता – 12,000 टन प्रतिवर्ष, जी.आई. वायर क्षमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष, एम.एस.स्ट्रीप्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष, एच.बी. वायर क्षमता – 48,000 टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस. पाईप क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पृथक–पृथक रॉ–मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. बारबेड वायर क्षमता – 12,000 टन प्रतिवर्ष, जी.आई. वायर क्षमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष, एम.एस.स्ट्रीप्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष, एच.बी. वायर क्षमता – 48,000 टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस. पाईप क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पृथक–पृथक उत्पादवार विस्तृत प्रोसेस फ्लो चार्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 480वीं एवं 481वीं बैठक क्रमशः दिनांक 10/08/2023 एवं 11/08/2023 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 22/09/2023 को किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डी. राहुल वैंकट)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़